समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन /2018

श्रीमती सावित्री राजपूत पत्नि त्रिभुवन सिह राजपूत निवासी गोपालगंज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर म.प्र.

— आवेदक

बनाम

मनोज केशरवानी पिता शिवप्रसाद केशरवानी निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर द्वारा कारदांआम नवीन केशरवानी पिता दशरथलनाल केशरवानी निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर म.प्र.

— अनावेदक

पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक आर–1529/एक/2018 आदेश दिनांक 6.03.2018 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुर्नाविलोकनकर्ता की ओर से पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर जिला सागर के प्रकरण क निल /बी 121 /17–18 मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 12.1.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई कि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - पुनरावलोकन/02700/2018/सागर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया कि इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस विधिक बिंदु पर विचार नहीं किया गया कि संहिता की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप एक बार में 3 माह से अधिक की अवधि के लिये स्थगन नहीं दिया जा सकता है जबकि मूल प्रकरण में जो तहसीलदार का आलोच्य आदेश है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन आने तक स्थगन जारी किया है,जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि आलोच्य आदेश से होती है । अतः आलोच्य आदेश एवं तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश 12-1-18 निरस्त करते हुए तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्थगन के बिंदु पर संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें । उक्त निर्देश के साथ यह पुनरावलोकन आवेदन निराकृत किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	